न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 123/2015

लक्ष्मण सिंह पुत्र नागर सिंह जाति रायसिख निवासी सादकवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (प्रार्थी)

वनाम

सतनाम सिंह पुत्र सुरैणसिंह जाति रायसिख निवासी सादकवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजविन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी
3. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांकः–07.08.2020

प्रार्थी लक्ष्मणसिह द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कोलो0 एक्ट के तहत इस न्यायालय में दिनांक 14.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 एसपीडी प0न0 83/326 की 25 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, जिसके नियमन बावत न्यायालय आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष कब्जा नियमन की पत्रावली विचाराधीन है। उक्त भूमि का कब्जा नियमन करवाने हेतु सतनाम सिंह पुत्र सुरेणसिंह ने प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। जिस पर राजस्थान सरकार जयपुर में उक्त रकवा की पत्रावली विचाराधीन होने के कारण स्थगन का नोट लगा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सतनाम सिंह पुत्र सुरेणसिंह न होकर प्रार्थी का सगा भाई शेर सिंह पुत्र नागर सिंह है जो कि पंजाब का रहने वाला है तथा पंजाब से अपनी खातेदारी भूमि बेचान कर राजस्थान में आकर सतनाम सिंह पुत्र सुरेण सिंह बनकर फर्जी व्यक्ति की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सतनाम सिंह 1995 तक लगातार पंजाब का वासिन्दा था। सतनाम सिंह द्वारा ग्राम सादकवाला में राशन कार्ड बनाने पर पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ लौटा दिया कि सतनाम सिंह नाम का कोई व्यक्ति यहां नही रहता उक्त व्यक्ति चाहे तो शेर सिंह के नाम से राशन कार्ड बना सकता है। प्रार्थी द्वारा शेर सिंह के विरूद्व फर्जी सतनाम सिंह बनने पर सिविल न्यायालय में फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है। सतनाम सिंह यानि शेर सिंह अपराधी किस्म का व्यक्ति है इसके खिलाफ न्यायालय एडीजे सूरतगढ़ में प्रंकरण दर्ज होकर उसे 1 साल की साजा का भी आदेश हुआ है। इसके अलावा सतनाम सिंह यानि शेर सिंह पंजाब राज्य में भी अपराधी घोषित हो चुका है। उसके खिलाफ कई प्रकरण विचाराधीन है। अप्रार्थी सतनाम सिंह यानि शेरसिंह ने फर्जी कागजात तैयार करवाकर पत्रावली अपने नाम से सक्षम करवा ली है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पत्रावली को पूर्ण जांच होने से पूर्व पुख्ता आवंटन न करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सतनामसिंह को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार सूरतगढ़ से प्रश्नगत भूमि बावत रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र नागर सिंह द्वारा दिनांक 24.01.2020 को स्वयं न्यायालय में हाजिर आकर हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रा करने बावत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गय जिसे दिनांक 24.01.2020 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजहित से संबंधित होनें के कारण तहसीदार सूरतगढ़ को पैरवी हेतु शिकायतकर्ता के स्थान पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (पीठासीन अधिकारी)

Scanned by CamScanner

समायोजित किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.02.2020 में बताया कि चक 2 एसपीडी के प0न0 83/326 के किला न. 01/25 कुल 6.325 है0 सतनाम सिंह पुत्र सुरेण सिंह जाति रायसिख साकिन सादकवाला के नाम से आवंटन है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1092 दिनांक 24.07.2020 में बताया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार उक्त रकबे आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा क्रमांक 2539 दिनांक 14.09.2015 द्वारा आवंटन किया गया है। सतनाम सिंह पुत्र सुरेण सिंह जाति रायसिख साकिन सादेकी वर्तमान में उक्त रकबे पर आवंटी ही काबिज है एवं आवंटी के पास अन्य भूमि नहीं है, आवंटी का कब्जा काश्त है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद निस्तारण किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजविन्द्र सिंह हाजिर आये तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 एसपीडी के प0न0 83/326 के किला न. 01 ता 25 कुल 6.325 है0 के कब्जा नियमन की पत्रावली न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थी लक्ष्मण सिंह की उपस्थिति में दिनांक 10.09.2015 को सक्षम घोषित की गई थी तदोपरान्त दिनांक 14.09.2015 को उक्त भूमि सतनामसिंह को पुख्ता आवंटन कर दी गई थी। उक्त दोनो आदेशों के खिलाफ प्रार्थी लक्ष्मण सिंह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 202/2015 व 203/2015 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें लक्ष्मणसिंह को हितबद्व पक्षकार नहीं मानते हुए दोनो अपीलें निरस्त की गई। उक्त दोनो अपीलों के खिलाफ लक्ष्मण सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी संख्या 3599/2016 व 3598/2016 अनवानी लक्ष्मणसिंह बनाम सतनामसिंह पेश की गई जो दिनांक 20.7.2018 को मा.राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दी गई। मा.राजस्व मण्डल के उक्त निर्णयों से व्यथित होकर लक्षमण सिंह द्वारा मा.उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन पेश की गई जो दिनांक 08.01.2020 को लक्ष्मणसिंह द्वारा विड्रा की जा चुकी है। शिकायतकर्ता लक्ष्मण सिंह द्वारा भी इस न्यायालय में प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रा किया जा चुका है परन्तु न्यायालय के द्वारा सरकार को पक्षकार मानते हुए प्रकरण जैरकार है। पेरोकार राज द्वारा प्रकरण में राज्य हित समाहित न होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मौका पर सतनाम सिंह का कब्जा काश्त बदस्तूर है। न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वार पूर्णतया जांच कर सक्षम घोषित कर पुख्ता आवंटन किया गया है। जिसकी राशि भी राज कोष में जमा करवा दी गई है। अतः शिकायत आधारहीन व मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली में प्रार्थी (शिकायतकर्ता) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलगन प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 28/2015 में चक 2 एसपीडी के प0न0 83/326 किला न. 01 ता 25 की कुल 6.325 है0 कमाण्ड भूमि मय खाला, आवंटन नियम 1975 के नियम 13 सपठित नियम 24 के तहत दिनांक 10.09.2015 को प्रार्थी (शिकायतकर्ता) लक्ष्मण सिंह पुत्र नागर सिंह को सुना जाकर अप्रार्थी सतनाम सिंह को भूमि आवंटन हेतु सक्षम घोषित किया गया तथा प्रार्थी लक्ष्मण सिंह का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होनें के कारण लक्ष्मण सिंह का प्रार्थना पत्र कब्जा नियमन आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जाना प्रकट होता है तथा दिनांक 14.09.2015 को सलाहकार समिति की राय से प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र सरेण सिंह को कीमतन पुख्ता आवंटन की गई। प्रार्थी लक्ष्मणसिंह ने अपने मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2015 में अंकित किया है कि आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली आज कमेटी में रख कर पुख्ता आवंटन की जा रही है, इसलिए पत्रावली को पूर्ण जांच होने से पूर्व पुख्ता न करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी अन्तिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 10.09.2015 व 14.09.2015 के विरूद्व अपील संख्या 202/15 लक्ष्मण सिंह बनाम सतनाम सिंह व अपील संख्या 203/15 लक्ष्मण सिंह

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

बनाम सतनाम सिंह माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों अपीलें माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.05.2016 को आधारहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई। इस प्रकार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 10.09.2015 व 14.09. 2015 यथावत रहा। निर्णय दिनांक 05.05.2016 से व्यथित होकर लक्ष्मणसिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 3598/16 लक्ष्मण सिंह बनाम सतनाम सिंह व निगरानी सं. 3599/2016 लक्ष्मणसिंह बनाम सतनामसिंह दायर की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर दिनांक 20.07.2018 को उक्त दोनों निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई। मा.राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.07. 2018 से व्यथित होकर प्रार्थी लक्ष्मणसिंह द्वारा मा.उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट सं. 18325/2018 लक्ष्मणसिंह बनाम राजस्व मण्डल व अन्य तथा सिविल रिट सं. 16079/2018 लक्ष्मण सिंह बनाम राजस्व मण्डल व अन्य दायर की गई उक्त दोनों सिविल रिट दिनांक 08.01.2020 को याची लक्ष्मण सिंह द्वारा विड्रा कर ली गई। शिकायतकर्ता लक्ष्मण सिंह द्वारा अप्रार्थी सतनाम सिंह को आवंटित कृषि भूमि की माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी व माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान मे दायर अपील निरस्त हो चुकी है तथा आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 10.09.2015 व 14.09. 2015 यथावत रहे है। रिपोर्ट हल्का पटवारी व संलग्न जमाबन्दी छाया प्रति अनुसार प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी में अप्रार्थी सतनामसिंह के नाम दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौका पर अप्रार्थी का कब्जा है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में राज्यहित प्रभावित होना प्रकट नहीं होता है तथा ना ही पैरोकार राज ने राजहित प्रभावित होना बताया है। प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11–14 उप0अधिनियम प्रश्नगत भूमि खारिज करने हेतु प्रस्तुत न करते हुए भूमि पुंख्ता आवंटन न करने का आदेश दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जो अपरिपक्व प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें भी निरस्त हो चुकी है तथा सतनामसिंह को किया गया आवंटन आज दिनांक तक यथावत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner